

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक: एफ. 14( )2017 / सीकर रोड्स / एफसीए / प्रमुखसं /

1017

दिनांक 15/3/22

शासन सचिव

वन विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

**विषय:**—Diversion of 6.35 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, PWD Sikar Rajasthan for renewal, widening and strengthening of Sikar-Harsh road (ODR-04) Km 8/750 to 15/100 in Harshnath PF village -Antri, Tehsil-Dhod, District Sikar.

(प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/29601/2017)

**संदर्भ:**—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8बी/राज/ 06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक अरावली भवन, जयपुर ने उनके पत्रांक 2251 दिनांक 04.06.2021 से इस कार्यालय को प्रेषित की है जो कि निम्नानुसार हैं:—

क्र.सं.	बिन्दु	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शर्त की पालना में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करे।	उक्त कार्य से वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। (अण्डर टेकिंग संलग्न है।)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 6.35 है० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु 6.35 है० X 172600 प्रति है० की दर से आवश्यक धन राशि 10,96,010/- (रूपये दस लाख छियानवें हजार दस मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करावे। प्रस्तावित गैर वन भूमि का हस्तान्तरण व नामान्तरण वन विभाग के नाम करवाकर दस्तावेज प्रस्तुत करे।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 6.35 हैक्टर पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु 6.35 हैक्टर X 172600 प्रति हैक्टर की दर से आवश्यक धन राशि 10,96,010/- कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है। (दस्तावेज संलग्न है।)

.....P.T.O.


3	<p>माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के रिट पीटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी दिनांक 06.02.2009 में दिये गये आदेशानुसार 6.35 है0 X 626000 रुपये प्रति है0 की दर से शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) राशि 39,75,100/- (रुपये उन्नचालीस लाख पिच्चेहतर हजार एक सौ मात्र) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करावे।</p> <p>शर्त संख्या 02 व 03 की पालना में मांग अनुसार कुल राशि 50,71,110/- (रुपये पच्चास लाख इकतर हजार एक सौ दस मात्र) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित करें।</p>	<p>माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की रिट पीटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी दिनांक 06.02.2009 में दिये गये आदेशानुसार 6.35 हैक्टर X626000 रुपये प्रति हैक्टर की दर से शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) राशि रु. 39,75,100/- कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है।</p> <p>शर्त संख्या 2 व 3 की अनुपालना में मांग अनुसार कुल राशि 50,71,110/- कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है। (संलग्न है।)</p>
4	<p>शर्त संख्या 4 की पालना में यह वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवायी जायेगी।</p>	<p>एन.पी.वी. की राशि में यदि सक्षम स्तर से बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई राशि प्रयोक्ता अभिकरण (User Agency) द्वारा जमा करवा दी जावेगी। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।)</p>
5	<p>शर्त संख्या 5 की पालना में प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलरो से किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर क्रमांक डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, <b>Backword and forward bearing</b> एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी। शर्त की पालना में अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करे।</p>	<p>प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमांकन सीमा स्तम्भों द्वारा नियमानुसार प्रयोक्ता अभिकरण (User Agency) द्वारा किया जायेगा। (अण्डर टेकिंग संलग्न है।)</p>

6	शर्त संख्या 6 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण मक डिस्पोजल योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करावे।	मक डिस्पोजल योजना मय अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7	शर्त संख्या 7 की पालना में यह वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, कि सक्षम स्तर से स्वीकृति से मिलने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।	सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जावेगा। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।)
8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) सैन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या -27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जावेगा। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।)
9	शर्त संख्या 7 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना करने सम्बन्धी वचनबद्धता-पत्र प्रस्तुत करावे।	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना की जावेगी। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।)

10	<p>परियोजना के निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (Working Permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र-11-306 /2014-एफ0सी0(pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।</p> <p>भविष्य में यदि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरों में वृद्धि होती है तो अन्तर राशि जमा करानी होगी। इसकी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।</p>	<p>परियोजना के निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यानुमति (Working Permission) निर्गत करने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र-11-306 /2014-एफ0सी0(pt.) दिनांक - 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।</p> <p>भविष्य में यदि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरों में वृद्धि होती है तो अन्तर राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवा दी जावेगी। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।)</p>
----	---	---

अतः उपरोक्तनुसार अनुपालना रिपोर्ट इस कार्यालय की सहमति के साथ दो सैट में भिजवाई जा रही हैं। कृपया एक मूल सैट भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ को भिजवाने का कष्ट करावें।  
 संलग्न:-उक्तानुसार ।

भवदीय,

  
 ( डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज )  
 अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
 प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14( )2017 / सीकर रोड्स / एफसीए / प्रमुवसं / दिनांक  
 प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, सीकर।
3. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, सीकर।

( भवानी सिंह )  
 उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
 अरण्य भवन, जयपुर

# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान

अरावली भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राज.)

क्रमांक:- एफ 5( ) एफ.सी.ए./मुवसंज/2020-21/ 3429  
निमित्त:-

दिनांक:- 10/8/21

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 6.35 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, PWD, Sikar Rajasthan for renewal, widening & strengthening of Sikar-Harsh road (ODR-04) Km 8/750 to 15/100 in Harshnath PF Village Antri, Tehsil- Dhod, District- Sikar  
Proposal No. FP/RAJ/ROAD/29601/2017

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक एफ. 14() 2017/सीकर रोडस/एफसीए/प्रमुवसं/1590-93  
दिनांक 01.07.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त स्वीकृति की पालना रिपोर्ट पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 2251 दिनांक 04.06.2021 से प्रेषित की गई है। अवशेष शर्तों की पालना बाबत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 14() 2017/सीकर रोडस/एफसीए/प्रमुवसं/1590-93 दिनांक 01.07.2021 के संबंध में उप वन संरक्षक, सीकर ने अपने पत्रांक 8021 दिनांक 05.08.2021 से पालना रिपोर्ट मय अंडरटेकिंग प्रेषित की है। उक्त पालना रिपोर्ट बाद परीक्षण मूल ही अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है-

शर्त सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	The User Agency shall provide the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars on CA land in Advance with the forest department.	क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित डीएफएल का सर्वे, डिमार्केशन एवं स्थायी पिल्लर यूजर एजेंसी द्वारा स्वयं के खर्चे से बनाये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग संलग्न है।
2.	User agency shall restrict the felling of the trees to the minimum number in the diverted forest land, the trees shall be filled under the strict supervision of the state forest department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the state forest department.	शर्त सं. 02 की पालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि पर खड़ी वन सम्पदा का विदोहन कम से कम किया जायेगा। यदि आवश्यकता होने पर ही प्रयोक्ता अभिकरण के स्वयं के खर्चे पर पेड़ों का विदोहन किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग संलग्न है।
3.	User agency shall provide the cost of strip plantation on both sides of road as per IRC norms, and also the cost of maintenance of raised plants (up to 10 years.)	शर्त सं 03 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं के खर्चे पर सड़क के दोनों ओर उपलब्ध भूमि पर इंडियन रोड कांग्रेस के नॉर्मस के अनुसार सड़क किनारे वृक्षारोपण कराये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग संलग्न है।
4.	Speed regulating signage will be erected along the roads at regular intervals in the Protected Area/forest areas.	प्रत्यावर्तित वन भूमि पर निर्धारित अंतराल पर गति नियमों के सूचनापट्ट मौके पर लगाये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग संलग्न है।

400  
16.8.21

A

16/8/21

DCFC/CA


महोदय,

6.	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	यूजर एजेंसी द्वारा इस प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रावधान है तो नियमानुसार प्राप्त कर ली जायेगी। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटैकिंग संलग्न है।
7.	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण के दौरान कार्य कर रहे लेबर का कोई कैम्प फॉरेस्ट एरिया में नहीं लगाया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटैकिंग संलग्न है।
8.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provide by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department on the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रत्यावर्तित वन भूमि पर सड़क निर्माण के दौरान कार्य कर रहे श्रमिकों को लकड़ी के अलावा अन्य ईंधन वन विकास कार्पोरेशन या अन्य किसी वैध स्रोतों से उपलब्ध कराया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटैकिंग संलग्न है।
9.	No Additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रत्यावर्तित वन भूमि के अलावा अन्य कोई निर्माण कार्य व निर्माण सामग्री के लाने लेजाने हेतु वन भूमि के अंदर अन्य कोई रास्ता नहीं बनाया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटैकिंग संलग्न है।
10.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रत्यावर्तित वन भूमि को निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटैकिंग संलग्न है।
11.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रत्यावर्तित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति/एजेंसी/विभाग को स्थानान्तरित नहीं की जायेगी। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटैकिंग संलग्न है।

अतः उक्त अधिरोपित शर्तों के क्रम में बिन्दुवार पालना रिपोर्ट मय अंडरटैकिंग 03 प्रतियों में श्रीमान् को संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उक्तानुसार(03 मूल सेट)

भवदीय,



(के.सी. मीणा)

मुख्य वन संरक्षक,  
जयपुर

क्रमांक:- एफ 5( )एफ.सी.ए./मुवसंज/2020-21/

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, सीकर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

दिनांक:-

///  
मुख्य वन संरक्षक,  
जयपुर



राजस्थान सरकार

## कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcf.sikar@gmail.com)

क्रमांक एफ ( )एफसीए/उवसंसी/2020-21/ 8021

दिनांक 05/08/21

निमित्त:- मुख्य वन संरक्षक,  
अरावली भवन,  
जयपुर।

विषय:- Diversion of 6.35 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, PWD, Sikar Rajasthan for renewal, widening & strengthening of Sikar-Harsh road (ODR-04) Km 8/750 to 15/100 in Harshnath PF Village Antri, Tehsil- Dhod, District- Sikar

### Proposal No. FP/RAJ/ROAD/29601/2017

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर का पत्रांक एफ. 140) 2017/सीकर रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं/1590-93 दिनांक 01.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/06/06/2018/एफसी/938 दिनांक 28.03.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त स्वीकृति की पालना रिपोर्ट पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 3921 दिनांक 05.04.2021 से प्रेषित की गई है। अवशेष शर्तों की पालना बाबत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 140) 2017/सीकर रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं/1590-93 दिनांक 01.07.2021 के संबंध में यूजर एजेंसी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीकर ने अपने पत्रांक 1171 दिनांक 26.07.2021 से पालना रिपोर्ट मय अंडरटैकिंग प्रेषित की है। उक्त पालना रिपोर्ट बाद परीक्षण मूल ही अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है-

शर्त सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	The User Agency shall provide the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars on CA land in Advance with the forest department.	क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित डीएफएल का सर्वे, डिमार्केशन एवं स्थायी पिल्लर यूजर एजेंसी द्वारा स्वयं के खर्च से बनाये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटैकिंग संलग्न है।
2.	User agency shall restrict the felling of the trees to the minimum number in the diverted forest land, the trees shall be filled under the strict supervision of the state forest department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the state forest department.	शर्त सं. 02 की पालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि पर खड़ी वन सम्पदा का विदोहन कम से कम किया जायेगा। यदि आवश्यकता होने पर ही प्रयोक्ता अभिकरण के स्वयं के खर्च पर पेड़ों का विदोहन किया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटैकिंग संलग्न है।
3.	User agency shall provide the cost of strip plantation on both sides of road as per IRC norms, and also the cost of maintenance of raised plants (up to 10 years.)	शर्त सं 03 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं के खर्च पर सड़क के दोनों ओर उपलब्ध भूमि पर इंडियन रोड कांग्रेस के नॉर्मस के अनुसार सड़क किनारे वृक्षारोपण कराये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटैकिंग संलग्न है।
4.	Speed regulating signage will be erected along the roads at regular intervals in the Protected Area/forest areas.	प्रत्यावर्तित वन भूमि पर निर्धारित अंतराल पर गति नियमों के सूचनापट्ट मौके पर लगाये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटैकिंग संलग्न है।
5.	The User agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area/ Forest Areas as per	शर्त सं. 05 की पालना में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में वन्य जीवों के

	recommendations of CWLW/NBW/FAS/REC.	आवागमन हेतु आवश्यक अंडर पास/ओवर पास यूजर एजेंसी द्वारा बनाये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटेंकिंग संलग्न है।
6.	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	यूजर एजेंसी द्वारा इस प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रावधान है तो नियमानुसार प्राप्त कर ली जायेगी। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटेंकिंग संलग्न है।
7.	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण के दौरान कार्य कर रहे लेबर का कोई कैम्प फोरेस्ट एरिया में नहीं लगाया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटेंकिंग संलग्न है।
8.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provide by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department on the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रत्यावर्तित वन भूमि पर सड़क निर्माण के दौरान कार्य कर रहे श्रमिकों को लकड़ी के अलावा अन्य ईंधन वन विकास कार्पोरेशन या अन्य किसी वैध स्ट्रोतों से उपलब्ध कराया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटेंकिंग संलग्न है।
9.	No Additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रत्यावर्तित वन भूमि के अलावा अन्य कोई निर्माण कार्य व निर्माण सामग्री के लाने लेजाने हेतु वन भूमि के अंदर अन्य कोई रास्ता नहीं बनाया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटेंकिंग संलग्न है।
10.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रत्यावर्तित वन भूमि को निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जायेगा। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटेंकिंग संलग्न है।
11.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रत्यावर्तित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति/एजेंसी/विभाग को स्थानान्तरित नहीं की जायेगी। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अंडरटेंकिंग संलग्न है।

प्रत्यावर्तित वन भूमि के एवज में आवंटित गैर वन भूमि ग्राम श्यामनगर तहसील-नीमकाथाना, जिला सीकर में 6.35 है० भूमि आवंटित की गई है। जिसको रक्षित वन घोषित कराने हेतु प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, जयपुर को प्रेषित किये गये थे जिनमें आक्षेप आने पर कमियों की पूर्ति कर प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव पुनः भिजवाने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः उक्त अधिरोपित शर्तों के क्रम में बिन्दुवार पालना रिपोर्ट मय अंडरटेंकिंग 04 प्रतियों में श्रीमान् को संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उक्तानुसार(04 मूल सेट)

भवदीय,  
(भीमा राम चौधरी)  
उप वन संरक्षक,  
सीकर  
दिनांक

क्रमांक एफ ( )एफसीए/उवसंसी/2020-21/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-सीकर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सीकर।

(भीमा राम चौधरी)  
उप वन संरक्षक,  
सीकर